न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न. 01/2019

पीठासीन अधिकारी

सूर्यकान्त शर्मा (आरटीएस)

1. रतिराम
2. फूलचन्द
3. मनोहर पुत्रान स्व0 प्रभातीलाल समस्त जाति चमार निवासी करवास तहसील कोटपूतली

प्रार्थीगण.....

1. नाहरसिंह
2. पूरण
3. बिरजू पुत्रान हजारीलाल
4. पप्पूड़ी पत्नि सन्तोष
5. गोकुल
6. माडू पुत्रान किशना समस्त जाति मीणा निवासी

अप्रार्थी गण.....

7. हरचन्द
8. बनवारी पुत्रान स्व0 प्रभातीलाल
9. विद्या
10. शान्ति
11. मिश्रो पुत्रियान स्व0 प्रभातीलाल समस्त जाति चमार निवासी करवास तहसील कोटपूतली

प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम ।

निर्णय

दिनांक–03.08.2022

पत्रावली पेश हुई ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 वी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई ।प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 579/0.90 है0 स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण संख्या 1लगायत 3 नाहरसिंह वगै0 तथा तरतीबी अप्रार्थीगण 7 लगायत 11 जाति चमार निवासी करवास तहसील कोटपूतली हैं। साथ ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता मरहूम प्रभातीलाल वल्द लादूराम से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा मुतजिकरा जिम्मन नम्बर 1 पर प्रभातीलाल के जायज कायम मुकाम वारिसान की हैसियत से काविज हो गये थे तथा शान्तिपूर्वक उक्त आराजी को काश्त करते थे। उक्त आराजी अर्सा करीब तीन वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण सरदारा पुत्र मोहबत, श्रीचन्द पुत्र भूराराम, उदयसिंह पुत्र सोहन, पतराम पुत्र सोहन, हरफूल पुत्र भूराराम, कृष्ण कुमार पुत्र भूराराम, कृष्णा देवी पत्नि राजकुमार जाति जाट निवासी करवास को एक वर्ष हेतु बंटाई पर दी थी जिसकी अवधी पूरी होने के उपरान्त अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को खाली करने से साफ इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण बाजौर एंव झगडालू किस्म के इंसान है तथा बहुसंख्यक जाति के लोग है तथा ताकत के बल एलानियां तौर पर जमीन का कब्जा देने से साफ इन्कार कर दिया तथा फसल की बंटाई के लिये भी इन्कार कर दिया। गत वर्ष गेहूं की फसल अप्रार्थीगण ने जबरन प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर कर ली एवं एलानियां प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की भूमि को खाली करने से मना कर दिया। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण व अन्य गांववालों ने गत सप्ताह अप्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि खाली कर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को संभलाने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि खाली करने से मना कर दिया। इसलिये प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को आराजी हाल खसरा नंबर 579/0.90 है0 वाके मोजा करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान से बेदखल कर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को काबिज करवाया जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। विवादित भूमि एवं पक्षकारान श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में स्थित है । इसलिए माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने व तय करने का अधिकार हांसिल है। तरतीबी अप्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के समान हित निहित है लेकिन प्रार्थना पत्र पेश करने के वक्त मौजूद नहीं होने के कारण तरतीबी अप्रार्थीगण बनाया गया है। मय शपथ– पत्र प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण का आराजी खसरा नंबर 579/0.90 वाके मौजा करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान से बेदखल कर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को काबिज करवाया जावे एंव भविष्य के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वो प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस दिया गया। तथा पटवारी हल्का से रिकार्ड एवं मौका के अनुसार रिपोर्ट मंगवाई गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया की वाके ग्राम करवास का खसरा नंबर 579/0.90

तहसीलदार
कोटपूतली (जय

है0 किस्म जाव–2, चाही–2 मुताबिक राजस्व रिकार्ड हरचन्द, फूलचन्द, बनवारी, रतीराम, मनोहर पुत्र प्रभातीलाल, विद्या, शान्ति, मिसरो पुत्रियां प्रभातीलाल जाति चमार निवासी करवास के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात पर मुताबिक मौका नाहरसिंह ,पूरण, बिरजू पुत्र हजारीलाल, पप्पूड़ी पत्नि संतोष, गोकुल, माडू पुत्र किशना राम जाति मीणा निवासी करवास का काबिज हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बनाये गये अप्रार्थीगण सरदारा वगै0 का अतिक्रमण मुताबिक पटवारी रिपोर्ट नहीं पाया गया इसलिए उनके विरूद्व कार्यवाही ड्राप की जाती है। तथा मुताबिक पटवारी रिपोर्ट प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम करवास के खसरा नंबर 579/0.90 है0 पर अतिक्रमी नाहरसिंह ,पूरण, बिरजू पुत्र हजारीलाल, पप्पूड़ी पत्नि संतोष, गोकुल, माडू पुत्र किशना राम जाति मीणा निवासी करवास नाहरसिंह ,पूरण, बिरजू पुत्र हजारीलाल, पप्पूड़ी पत्नि संतोष, गोकुल, माडू पुत्र किशना राम जाति मीणा निवासी करवास को पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा बताये गये अतिक्रमी नाहरसिंह वगै0 के नाम से संशोधित उनवान प्रार्थना पत्र प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया । अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार सैनी उपस्थित आये । बार– बार अवसर दिये जाने पर भी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की तरफ से कोई जबाब , दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 579/0.90 है0 वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली पर अप्रार्थीगण का अतिक्रमण किया जाना सिद्व होता है अतः पटवारी हल्का अनुसार अप्रार्थीगण पर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हमने पटवारी हल्का जयसिंहपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि प्रार्थना पत्र के अनुसार वाके ग्राम करवास के खसरा नंबर 579/0.90है0 प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण का काबिज होना अवगत करवाया गया है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं उसमें अन्य व्यक्तियों का कोई अधिकार सृजित नहीं हो सकता यदि किसी का अधिकार का दावा भी किया जाता है तो प्रारम्भ से अवैध व शून्य है।अप्रार्थीगण का अवैध अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 579/0.90है0 वाके ग्राम करवास पर अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 579/0.90है0 वाके ग्राम करवास से अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशि 16.80 रू का पचास गुणा 840रू अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

लेखाकार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3.8.2022को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक लेखाकार
कोटपूतली (जयपुर)